



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर नाजायज गांजा की तस्करी करने वाले अभियुक्त को 01 वर्ष का कारावास व 5000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना सुमेरपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0-12/24 धारा- 8/20 एनडीपीएस एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय गैंगस्टर एक्ट कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त बल्ला उर्फ सियापाल पुत्र दयाराम पाल नि0-मु0इमिलिया थोक सुमेरपुर जनपद हमीरपुर को दोष सिद्ध करते हुए 01 वर्ष का कारावास व 5,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



एडीजीसी श्री प्रवीण
कुमार भदौरिया



विवेचक-
उ0नि0 आशुतोष
त्रिपाठी



पैरोकार- थाना सुमेरपुर
का0 जगत सिंह